

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 1972/श्रावण 10, 1894

No 201]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 1972/SRAVANA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August 1972

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 2 after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:

“(ee) ‘guardian’, in relation to a minor, means:

(i) Father or mother; and

(ii) Where neither parent is alive, or where the only living parent is incapable of acting, a person entitled under the law for the time being in force to have care of the property of the minor;”

3. In paragraph 3 of the said Scheme, for the letters and figures "Rs. 15,000", the letter and figures "Rs. 20,000", shall be substituted.

4. For paragraph 5 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely:

"5. *Number of Subscriptions.*—The subscription, which shall be in multiples of Rs. 5, may, for any year, be paid into the account in one lump sum or in instalments not exceeding twelve in a year."

5. In paragraph 9 of the said Scheme,

(i) in sub-paragraph (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the withdrawals permissible during the following periods (each reckoned from the end of the year in which the account was opened) shall be—

- (a) one upto the ninth year;
- (b) two upto the thirteenth year; and
- (c) three upto the fifteenth year."

(ii) in sub-paragraph (2), after the words, brackets and figure "the limit prescribed in sub-paragraph (1)", the words and figure "and that the applicant has, till the date of the application, been subscribing according to the limit specified in paragraph 3" shall be inserted.

6. In paragraph 10 of the said Scheme, in sub-paragraph (2), after the words, brackets and figure "the limit prescribed in sub-paragraph (1)", the words and figure "and that the applicant has, till the date of the application, been subscribing according to the limit specified in paragraph 3 and" shall be inserted.

7. In sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the said Scheme for the words "two per cent" in both the places where they occur, the words "one per cent" shall be substituted.

8. After paragraph 12 of the said Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"13. *Power to relax.*—Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to a subscriber, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act."

9. In Form 'A' appended to the said Scheme, after entry "Applicant's" relationship with minor, if any....., the following entry shall be inserted, namely:—

"I hereby declare that I am not maintaining any other Public Provident Fund Account."

[No. F.3(4)-PD/71.]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy. (Budget).

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 368 (ई)—लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इस स्कीम का नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1972 होगा।

(2) यह स्कीम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) में, पैरा 2 में, खण्ड (ड०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड० ड०)” संरक्षक में, किसी अप्राप्तवय के सम्बन्ध में, निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) पिता या माता, और

(ii) जहां माता या पिता में से कोई जीवित न हो, या जहां एकमात्र जीवित माता या पिता कार्य करने में असमर्थ हो, वहां ऐसा व्यक्ति जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अप्राप्तवय की समाप्ति की देखरेख करने के लिए हकदार है ;”।

3. उक्त स्कीम के पैरा 3 में, “15,000 रुपये” श्रकों और अक्षरों के स्थान पर, “20,000 रुपये” श्रक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त स्कीम के पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5-अभिदाय की संख्या—किसी वर्ष के लिए अभिदाय का, जो पांच रुपये के गुणाजों में होगा, खाते में सदाय एकमुष्ट राशि में या ऐसी किस्तों में किया जा सकेगा जो किसी वर्ष में बारह से अधिक नहीं होगी।”

5. उक्त स्कीम के पैरा 9 में,-

(i) उप पैरा (1) में, परन्तु के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तु प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु निम्नलिखित अवधियों (जिनकी गणना उस वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें खाता खोला गया था) के दौरान अनुज्ञेय प्रत्याहरण निम्नप्रकार होंगे :-

(क) नवें वर्ष तक एक ;

(ख) 13 वें वर्ष तक दो ; और

(ग) 15 वें वर्ष तक तीन।”

(ii) उप पैरा (2) में, “उप-पैरा (1) में विहित परिसीमा से अधिक नहीं है” शब्दों, कोष्ठकों और श्रक के पश्चात्, और आवेदक पैरा 3 में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अनुसार, आवेदन की तारीख तक, अभिदाय करता रहा है “शब्द और श्रक अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त स्कीम के पैरा 10 में, उप-पैरा (2) में “उप-पैरा (1) में विहित स्कीम परिसीमा से अधिक नहीं है” शब्दों कोष्ठकों और श्रक के पश्चात् “और आवेदक पैरा 3 में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अनुसार आवेदन की तारीख तक अभिदाय करता रहा है और ” शब्द और श्रक अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त स्कीम के पैरा 11 के उप-पैरा (2) में, जहां दो स्थानों पर “दो प्रतिशत” शब्द आए हैं, उनके स्थान पर, “एक” प्रतिशत शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त स्कीम के पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“13- शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह समाधान हो गया हो कि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से किसी योगदाता को अनुचित कष्ट होता है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, उस उपबन्ध की अपेक्षाओं को उस रीति से, जो अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, शिथिल कर सकेगी।”

9. उक्त स्कीम से सलग्न प्ररूप ‘क’ में, “आवेदक की अप्राप्तवय से नातेदारी, यदि कोई हो, _____” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“में एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरा कोई अन्य लोक भविष्य निधि खाता नहीं है।”

[सं० फ० 3 (4) - पी० डी० / 71]

बी० मैत्रेयन,
संयुक्त सचिव, (बजट) ।